रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 387] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 1981/श्रावण 30, 1903
No. 387] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 1981/SRAVANA 30, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और उर्वरक विभाग)

विकास आयुक्त कार्यालय (औषधि)

आदेश

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1981

का. आ. 669 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

16.77 रु. प्रतिग्राम को उस अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है जिस पर स्वदेश विनिर्मित स्पाइरोनोलेक्टोन का विक्रय किया जाएगा ।

[फा. सं. 8 (84)/80-औषधि-II]
आर. एन. दास, उप-सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Fertilizers)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 17th August, 1981

S.O. 660(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes Rs. 16.77 per gram as the maximum sale price at which Spironolactone manufactured indigenously shall be sold.

[F. No. 8(84)/80-D. II]
R. N. DAS, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981